मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58, अरेरा हिल्स भोपाल– 462011

अपील क्रमाँक ए–73/रासूआ/38/इन्दौर/06

श्री राजेन्द्र सिंह अटल — अपीलकर्ता
615, जनता क्वाटर्स,
स्टेडियम ग्राउन्ड,नंदानगर, इन्दौर, .

विरूद्ध

श्री विवेक श्रोत्रिय, — *लोक सूचना अधिकारी*
संयुक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

आदेश

(दिनाँक 03 जुलाई, 2006)

श्री राजेंद्र सिंह अटल ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी, जिला कलेक्टर (तहसील) कार्यालय, इंदौर से दिनांक 28.11.2005 को निम्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी :–

(1) दिनांक 23.11.05 तहसीलदार वसूली का, महाप्रबंधक एन.टी.सी. 27,यशवंत निवास रोड को सम्बोधित पत्रानुसार मांगी गई जानकारी एन.टी.सी. परिसर के सील ताले तोड़ने संबंधी एन.टी.सी. ने क्या जानकारी दी है, उसकी प्रति ।
(2) एन.टी.सी. को सील एवं ताले तोड़ने से क्या तहसील न्यायालय की अवमानना नहीं हुई है ।
(3) एन.टी.सी. प्रबंधक पर, न्यायालय की अवमानना या पुलिस अथवा कानूनी कार्यवाही की सूचना देंवे ।
(4) जप्त एन.टी.सी. परिसर अभी तक निलाम क्यों नहीं किया गया और किस दिनांक तक किया जायेगा ।
(5) उक्त प्रकरण में क्या, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, किया तो किसने किया है उसपर क्या कार्यवाही की जा रही है ।
(6) इस संबंध में कलेक्टर महोदय का पत्र क्रमांक 62/21.11.05 की प्रमाणित प्रति ।

2. लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 24.11.05 द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया था कि निर्धारित शुल्क जमा कराने का कष्ट करें । अपीलकर्ता को यह

पत्र दिनांक 24.11.05 को भेजा गया था जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए थे कि प्रकरण से संबंधित पत्रों की सत्यप्रति प्राप्ती हेतु रू0 42/– जमा कराए जाएं । अपीलकर्ता ने यह राशि जमा नहीं की ।

3. अपीलकर्ता ने एक अपील दिनांक 2.1.06 को अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें 13 जनवरी को अपील अधिकारी ने आदेश पारित किया । इस अपील में अपील अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि न्यायालय पूछे गये प्रश्नों अथवा अपीलकर्ता के व्दारा पूछें गये प्रश्नों का उत्तर लोक सूचना अधिकारी के व्दारा नही दिया जा सकता लेकिन जो दस्तावेज अपीलकर्ता ने मांगे हैं उनकी प्रति शुल्क जमा करने पर दी जा सकती है । अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में श्रीमती मनोरमा कोष्टा, तहसीलदार को यह निर्देशित किया कि 3 दिन के अंदर आवेदक को मांगे गए दस्तावेज़ों के पृष्ठ क्रमांक तथा जमा कराई जाने वाली राशि का उल्लेख करते हुए पत्र आवेदक को भेजा जाए और यदि आवेदक द्वारा राशि जमा करा दी जाती है तो दस्तावेज़ों की प्रति उपलब्ध करा दी जाए । अपीलकर्ता का कहना है कि इसके बाद भी जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान नहीं की गई है ।

4. इस प्रकरण में अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी को सुनवाई के लिए दिनांक 3 जुलाई 2006 को बुलाया गया था । श्री विवेक श्रोत्रिय,संयुक्त कलेक्टर एवं लोक सूचना अधिकारी,श्रीमती मनोरमा कोष्टी, तहसीलदार (वसूली) उपस्थित हुए । अपीलकर्ता को 3 जुलाई 2006 की पेशी में उपस्थिति होने के लिए 6 जून, 2006 को सूचना दी गई थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए ।

5. अपीलकर्ता ने जिन आवेदन पत्रों की सूची लगाई है, उनमें तिथियों के बारे में कुछ नहीं कहा है । अपीलकर्ता ने अपना जो आवेदन–पत्र लोक सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किया था,उसमें तिथि 28.11.2005 की डाली गई है और उसके साथ ही आयुक्त,इंदौर संभाग एवं श्रीमती मनोरमा कोष्टी को जो आवेदन पत्र दिया है,उसमें भी तिथि 28.11.2005 ही डाली गई है । लोक सूचना अधिकारी,कलेक्टर कार्यालय को दिनांक 28.11.2005 को जो आवेदन–पत्र दिया गया है,उसमें तहसीलदार वसूली के पत्र दिनांक 24.11.2005 का संदर्भ अंकित किया है । इसमें यह अंकित किया गया है कि अपीलकर्ता निर्धारित शुल्क जमा कराने का कष्ट करें जिससे उनके द्वारा मांगी गई जानकारी दी जा सके । इस पत्र में लोक सूचना अधिकारी,कलेक्टर कार्यालय–संभाग इंदौर ने भी यह टीप दी है कि – कृपया स्पष्ट करें कि कुल कितने पृष्ठ की फोटोप्रति की राशि इनसे जमा करानी है । इसके बाद एक पत्र अपीलकर्ता को 20.12.2005 को भेजा गया है जिसमें अपीलकर्ता को रू0 42/– जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं और यह बताया गया है कि 21 पृष्ठों की जानकारी दी जाना है । इस पत्र को भेजे जाने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अपीलकर्ता ने अपनी अपील के मेमो में इस पत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं किया जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए थे कि वह मांगी गई राशि जमा करें । उन्होंने कलेक्टर

के कार्यालय में अपील की और कलेक्टर ने उपरोक्तानुसार तहसीलदार को शुल्क जमा कराने के बाद सूचना देने के लिये निर्देश दिये ।

6. इस प्रकरण में दो बिंदु हैं । एक बिंदु जो जानकारी मांगी गई है,उससे संबंधित है । स्पष्टतः बिंदु क्र0 –2,3,4 एवं 5 के संबंध में जो जानकारी मांगी गई है, वह वस्तुतः इस सम्पूर्ण प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की राय या उनसे प्रश्न किए गए हैं कि क्यों नहीं कार्यवाही की गई । लोक सूचना अधिकारी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिनियम के अंतर्गत सक्षम नहीं हैं । इसी प्रकार किसी भी विषय पर वह अपनी राय देने के लिए भी सक्षम नहीं हैं, उनका केवल दायित्व यह है कि जो अभिलेख उपलब्ध हों, उन्हें संबंधित आवेदक को अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएं या यदि किसी दस्तावेज़ की प्रतिलिपि मांगी गई हो तो वह उसे प्रदान करें इसलिए किसी भी विषय पर आवेदक के विभिन्न प्रश्नों या जिन बिंदुओं पर राय मांगी गई है, उसपर लोक सूचना अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ।

7. बिंदु क्रमांक 1 और 6 से संबंधित अभिलेखों की प्रति निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद दी जा सकती है । अपीलकर्ता को चाहिए कि वह तहसीलदार (वसूली) द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करें और जमा करने के उपरांत जानकारी प्राप्त करें । यदि वह किसी विषय पर अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं या यह चाहते हैं कि संबंधित नस्ती में क्या राय अंकित की गई है तो उन्हें चाहिए कि वह निर्धारित शुल्क जमा करके उस नस्ती को देखें कि उस नस्ति में क्या कार्यवाही की गई है । इसके उपरांत वह नस्ती में से किसी कागज़ की प्रमाणिक प्रति भी चाहते हैं, तो वह उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद प्रदान की जा सकती है ।

8. उपरोक्त निर्देशों के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त